कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली(छ.ग.)

—: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :—

क्रमांक **क** /एक—15—01/2017 मुंगेली दिनांक 29 नवम्बर 2023

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14754/D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 एवं ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक क/एक—15—1/2017 मुंगेली, दिनांक 02 जनवरी 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील रहेगाः—

अनु.	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1	**जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मुंगेली।** **2. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) मुंगेली** **3. विशेष न्यायाधीश (NDPS) मुंगेली**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला मुंगेली**	1. सत्र प्रकरण । 2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित प्रकरण **(विधि एवं विधायी विभाग मंत्रालय महानदी रायपुर अधिसूचना क0—5907/1931/XXI-B/C.G./2017 रायपुर दिनांक 27.06.2017)** (माननीय उच्च न्यायालय के रिटपिटिशन(क्रि.)क्र. —540/2020 रामस्वरूप राजवाड़े वि0 स्टेट आफ सी. जी. के आदेश दिनांक 10.12.2020 के अनुसार **अनु. जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 1989 के ऐसे सभी प्रकरण/जमानत आवेदन पत्र जिनमें आरोपी पर पाक्सो एक्ट का भी आरोप है, को छोड़कर**) 3. एनडीपीएस से संबंधित समस्त प्रकरण **(छत्तीसगढ़ शासन विधि ओर विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 10276/3334/XXI-B/C.G./2020 दिनांकित 29.12.2020)** 4. Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act 2005) के अंतर्गत सभी प्रकरण एवं उनसे उदभूत मामले **(छत्तीसगढ़ शासन विधि ओर विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 9742/3446/XXI-B/2015 दिनांकित 09.10.2015)** 5. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण से संबंधित समस्त प्रकरण **(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी रायपुर की अधिसूचना क्रमांक—एफ—25—8/2011/ नौ /55 नया रायपुर दिनांक 09.10.2017)** 6. आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण। 7. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 8. जुनाइल जस्टिस बालको के सुरक्षा एवं संरक्षण बाल न्यायालय 2005 से उद्भूत आवेदन अंतर्गत धारा 52 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील।

			9. दं0प्र0सं0 की धारा 341 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। 10. दिनांक 24.10.1998 के पूर्व संस्थापित आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण 12–ड्रग एवं कास्मेटिक अधिनियम 1940 (नंबर 23 1940) से संबंधित उपार्पित प्रकरण संपूर्ण जिले से उत्पन्न। 11. स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सिविल एवं विविध अपीलें एवं निर्वाचन याचिकाएं। 12. रू. 40,00,001/– से अधिक मूल्य के साम्पत्तिक वाद एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन। 13. सम्पूर्ण राजस्व मुंगेली से उद्भूत मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले समस्त आर्बिट्रेशन प्रकरण 14. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधि0 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाएं। 15. नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 28 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सिविल प्रकरण। (तहसील मुंगेली, पथरिया, लोरमी से उत्पन्न प्रकरण) 16. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 17. मुंगेली जिला से उत्पन्न मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले प्रकरण। 18. सिविल जिला मुंगेली व्यवहार न्यायालयों वर्ग–1 एवं वर्ग–2 के द्वारा समस्त सिविल वाद में घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें एवं विविध अपीलें। 19. भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत् कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेन्स। 20. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत् प्रस्तुत प्रकरण। 21. धारा 9 CPC के अन्तर्गत विचारणीय ऐसे वाद, याचिका तथा आवेदन पत्र जो इस आदेश में किसी अन्य न्यायालय को आबंटित नही हैं। 22. Specific Relief Act 1963(47of 1963) and Specific Reliel Amendment Act 2018 की धारा 20 बी के अधीन जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य प्रकरण **(विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचनाक0–7782/2124/XXI-B/C.G./2019 दिनांक 02.08.2019)** 23. माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रेषित एवं अंतरित प्रकरण। 24. मुंगेली जिले के अंतर्गत समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए) 166 एवं 140 मो.वि.एक्ट 1988(संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत पेश दावा आवेदन। 25. ''मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रकरण मुंगेली जिले के अंतर्गत समस्त थानों के द्वारा मोटर यान संशाोधन नियम 2022 के अंतर्गत विवेचना *अधिकारी द्वारा **FAR, IAR** एवं **DAR** मोटर दुघर्टना*

			दावा अधिकरण, मुंगेली में प्रस्तुत किये जायेंगे ।'' 26. अन्य अधिनियम के अन्तर्गत् जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय विवाद जो इस आदेश में अन्य न्यायालय को आबंटित नही किये गये है। 27. मुंगेली जिला से उत्पन्न होने वाले अन्य प्रकरण जो उपरोक्त में उल्लेखित नहीं है। **(कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोडकर)**
2.	**1. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली, एवं प्रथम अति. मोटर दुर्धटना दावा अधिकरण, मुंगेली** **2. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मुंगेली** **3. विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) मुंगेली**	**सिविल जिला मुंगेली एवं सत्र खण्ड मुंगेली**	*1.* सत्र न्यायाधीश मुंगेली द्वारा समय समय पर अंतरित सत्र प्रकरण। *2.* भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 *3.* विद्युत अधिनियम*(माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के आदेश कमांक **4143/III-6-4/2003/Checker** बिलासपुर दिनांक 27 मार्च 2021)* ***एवं पृष्ठांकन*** *कमांक **4526/III-6-4/2005/Checker** बिलासपुर दिनांक 13 अप्रैल 2021)* *4.* 'धारा 25 बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 तथा वुमेन (रेप केसेस) से संबंधित समस्त प्रकरण एवं धारा 28 पाक्सो अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरण *(माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर का ज्ञापन कमांक 4146/**III-6-4/2003/Checker** बिलासपुर दिनांक 27 मार्च 2021)''* *5.* रूपये 10,00,001/– से रूपये 40,00,000/– तक मूल्य के सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण। *6.* जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मोटर दुर्धटना दावा अधिकरण मुंगेली द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण। *7.* व्यवहार वाद एवं अपराधिक प्रकरण जो समय समय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। *8.* इस जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय से उद्भूत, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का कियान्वयन एवं अन्य अनुसांगिक कार्यवाहियां *9.* माननीय सत्र न्यायाधीश मुंगेली के द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।
3.	**अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश**	**सत्र खण्ड मुंगेली**	1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के समस्त प्रकरण व जमानत आवेदन पत्र।

	मुंगेली, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पाक्सो) मुंगेली		2. अनु.जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 1989 के ऐसे सभी प्रकरण/जमानत आवेदन पत्र जिनमें आरोपी पर पाक्सो एक्ट का भी आरोप है *(माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटिशन(कि.)क. –540/2020 रामस्वरूप राजवाड़े वि0 स्टेट आफ सी.जी. के आदेश दिनांक 10.12.2020 के अनुसार)* 3. धारा 25 बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 से संबंधित प्रकरण 4. किशोर न्यायबोर्ड, मुंगेली के आदेश से उद्भूत समस्त दाण्डिक अपीलें अंतर्गत धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 5. सत्र न्यायाधीश मुंगेली के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण।
4.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली**	**तहसील मुंगेली, लोरमी, पथरिया, लालपुर थाना एवं जरहागांव**	1. नगरपालिका परिषद मुंगेली से उत्पन्न होने वाले अपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय विशेष अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण एवं स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण। 3. तहसील मुंगेली, लोरमी, लालपुर थाना, पथरिया एवं जरहागांव से उद्भूत रूपये 8,00,001/– से 10,00,000/– तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4. तहसील मुंगेली, लोरमी, लालपुर थाना, पथरिया एवं जरहागांव से उद्भूत रूपये 201/– से रूपये 500/– तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 192, तथा भाग दो, 10 की अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. न्याय पंचायतों के आदेशों के विरूद्ध पुनरीक्षण। 8. प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 के अधीन समस्त प्रकरण। 9. छ0ग0 पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत व्यवहार निगरानियां। 10. छ.ग.नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 139(1) एवं 172(1) के अधीन अपील। 11. Specific Relief Act 1963(47of 1963) and Specific Reliel Amendment Act 2018 की धारा 20 बी के अधीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 की सुनवाई योग्य प्रकरण **(विधि एवं विधायी कार्य विभाग नया रायपुर की अधिसूचनाक0–7782/2124/XXI-B/C.G./2019 दिनांक 02.08.2019)** 12. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये

			जाने वाले प्रकरण। 13. अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन मामलो की पुर्नस्थापन संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का कियान्वयन। 14. आर्थिक अपराधों से संबंधित प्रकरण, जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचना से प्राप्त। 15. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं वर्ग–2 मुंगेली के रिक्त न्यायालय से संबंधित व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्यवाही।
5.	**द्वितीय व्य.न्या.वर्ग–1, मुंगेली एवं न्या.मजि.प्र. श्रे. मुंगेली**	**तहसील मुंगेली, लोरमी, पथरिया लालपुर थाना, एवं जरहागांव**	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली द्वारा कार्य विभाजन आदेशानुसार सौंपे गये एवं समय समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 2. तहसील मुंगेली, लोरमी, पथरिया, लालपुर थाना एवं जरहागांव से उदभूत रूपये 5,00,001/– से रूपये 8,00,000/– तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 4. अन्य कार्य जो जिला न्यायाधीश द्वारा सौंपे जावे।
6.	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मुंगेली एवं न्या.मजि.प्र.श्रे. मुंगेली**		**रिक्त न्यायालय**
7.	**व्यवहार न्यायाधीश वर्ग– 2, मुंगेली एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली**	**तहसील मुंगेली, लोरमी, एवं पथरिया**	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली द्वारा कार्य विभाजन आदेशानुसार सौंपे गये एवं समय समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 2. रूपये शून्य से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।**(*व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 लोरमी के आर्थिक क्षेत्राधिकार अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों को छोडकर*)** 3. रू. शून्य से रू. 200/– तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 4. अन्य जिलो से प्राप्त रूपये शून्य से रूपये 5,00,000/– तक के मूल्य निर्वतन हेतु प्रकरण। 5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं सौंपे गये अन्य कार्य।
8.	**व्यवहार न्यायाधीश वर्ग– 2, लोरमी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लोरमी**	**तहसील लोरमी एवं लालपुर थाना**	1. समस्त आपराधिक प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली की अनुज्ञा से सौपे जाने वाले प्रकरण। 2. सभी आपराधिक प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली द्वारा कार्यविभाजन अनुसार वितरित किया जावे। 3. तहसील लोरमी, तहसील लालपुर थाना से उद्भूत होने वाले रूपये शून्य से 5,00,000 तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

			4. तहसील लोरमी, तहसील लालपुर थाना से उद्भूत होने वाले रू. शून्य से रू. 200/– तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। **5.** अन्य कार्य जो जिला न्यायाधीश मुंगेली द्वारा सौपा जावें। **6.** अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन मामलो की पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का कियान्वयन। **7.** जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

सही/–
(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ.ग.

1. न्यायाधीशों के अवकाश व अनुपस्थिति व न्यायालय रिक्त होने की दशा में अत्यावश्यक सिविल एवं आपराधिक मामलों के कार्य निम्न तालिका अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायाधीशों द्वारा किया जावेगा :–

2. नीचे उल्लेखित लिंक न्यायिक अधिकारियों के द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन कमांक 14754/D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 एवं ज्ञापन कमांक 15250/D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 के परिपालन में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा:–

"The concerned link Judicial Officer will take up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witness have come to record that evidence, if possible and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 03 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the witnesses except the official witnesses."

"Apart from urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail , if for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, if will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader."

क्र.	न्यायाधीश का पदनाम	अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में अधिकृत न्यायाधीश/लिंक न्यायिक अधिकारी
1	2	3
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
2	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) मुंगेली (*पी.सी.एक्ट को छोंडकर*)
3	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) मुंगेली	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
4	1. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली 2. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) मुंगेली	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मुंगेली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, मुंगेली
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मुंगेली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मुंगेली
7	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, मुंगेली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मुंगेली
8	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, लोरमी	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, मुंगेली

<u>नोट–</u>

1. स्तम्भ क्रमांक 2 में अंकित न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा उक्त न्यायालय रिक्त रहने की दशा में आवश्यक कार्य का संपादन स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा।
2. यदि किन्ही कारणों से स्तम्भ क्रमांक 3 में अंकित न्यायाधीशगण उपलब्ध न हों तो जिला मुख्यालय/तहसील में जो भी वरिष्ठ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 उक्त श्रेणी के न्यायाधीश के रूप में उपलब्ध हों वे संबंधित न्यायालय अर्थात स्तम्भ क्रमांक 2 में अंकित न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित करेंगे। क्षेत्राधिकारिता के बारे में जहां भी संशय हो तो आदेश के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
3. सिविल अवकाश (Civil Vacation) की अवधि में प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक आवेदन, संबंधित न्यायालय द्वारा सुनवाई में लिया जावेगा। संबंधित न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश में रहने की स्थिति में जिला मुख्यालय/तहसील में जो भी वरिष्ठ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1/ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 उक्त श्रेणी के न्यायाधीश के रूप में उपलब्ध हों, के द्वारा सुनवाई किया जावेगा।
4. यदि सिविल जिला मुंगेली में सत्र न्यायाधीश एवं कोई भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपलब्ध नही होंगे तो अति आवश्यक औपचारिक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

सही/–
(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ.ग.

पृष्ठांकन क्रमांक   /एक–15–01/2017   मुंगेली दिनांक 29 नवम्बर 2023

<u>यथा आदेश प्रतिलिपिः</u>–

1. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली, जिला मुंगेली
2. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
3. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय(पाक्सो), मुंगेली
4. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मुंगेली
5. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, मुंगेली/लोरमी

– की ओर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14754/D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 एवं ज्ञापन क्रमांक 15250/D& A /2023 बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. रजिस्ट्रार, सेंट्रल फाईलिंग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ मुंगेली/लोरमी
8. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली
9. लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक मुंगेली
10. लोक अभियोजन अधिकारी मुंगेली
11. डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, मुंगेली

–की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. पुलिस अधीक्षक, मुंगेली की ओर समस्त थाना प्रभारी को संसूचित किये जाने प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्या.जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ.ग.